सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 5 राँची, बुधवार, 23 फाल्गुन, 1939 (श०)

14 मार्च, 2018 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 35- 48

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2017

संख्या- झा०गो०से०आ०, राँची-अधि०-01/17-18/1381-- झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वारा राज्य में स्थापित गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु मापदण्डों का निर्धारण के लिए अधिसूचना ज्ञपांकः-59 गो सेवा आयोग,राँचीदिनांकः 2 जुलाई, 2015 अधिसूचित है ।

उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 की उपकंडिका-3.3 एवं 3.4 निम्नवत है-

3.3"गो सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभ में अधिकतम 25 प्रतिशत सहायता अनुदान राशि बतौर अग्रिम दी जायेगी, जिसका व्यय करने के उपरांत गोशाला के अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा इसकी समीक्षा कर संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही द्वीतीय किस्त के रूप में अगली 50 प्रतिशत राशि अनुमान्य होगी।"

3.4 " 75 प्रतिशत कार्य समाप्ति के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात अंतिम 25 प्रतिशत अनुमान्य सहायता अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा"।

उपरोक्त कंडिका के अनुसार गो सेवा आयोग द्वारा निबंधित किसी भी गौशाला/संस्थान को तीन (3)किस्तों में राशि विमुक्त करने का प्रावधान है । उक्त प्रावधान के आलोक में तीन (3)किस्तों मे राशि विमुक्त करने मे कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निबंधित संस्थाओं को अनुदान हेतु स्वीकृत राशि को दो किस्तों में विमुक्त करने हेतु उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 3.4 को विलोपित करते हुए 3.3 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता हैः-

" 3.3 गो सेवा आयोग के द्वारा दो किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जायेगी । प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 50 प्रतिशत बतौर अग्रिम विमुक्त की जायेगी, जिसके व्यय के उपरांत गोशाला के अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र को संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात आयोग द्वारा द्वीतीय किस्त के रूप में शेष 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की जायेगी।"

2. अधिसूचना संख्या:- 59 गो सेवा आयोग, दिनांक 2 जुलाई, 2015 की शेष सभी कंडिकाएँ/उप कंडिकाएँ यथावत रहेंगी ।

3. तदनुसार अधिसूचना संख्या-59 गो॰से॰आ॰,दिनांक 2 जुलाई, 2015 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 जनवरी, 2018

संख्या-03/नि०सं०-09-03/2017 का. 98 -- श्री भवानी प्रसाद लाल दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 430/03), विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 20 मार्च, 2017 से 5 अप्रैल, 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 जनवरी, 2018

संख्या- 4/नि०सं०-12-139/2014 का. 100-- श्री अरविन्द कुमार ओझा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), अंचल अधिकारी, कुंडहित, जामताड़ा का दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 से 11 जनवरी, 2017 तक कुल 103 दिनों के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

N O T I F I C A T I O N

5th March, 2018

No. 61 A: Earned Leave for 13 days for the period from from 29 April, 2017 to 11 May, 2017 suffixing 12 May, 2017 to 14 May, 2017 being holidays is granted to Sri Gopal Pandey, the then District & Additional Sessions Judge-VI, Deoghar, now District & Additional Sessions Judge-I, Lohardaga under Rule(s) 227, 228, 230 & 248 of the Jharkhand Service Code.

By order of the Court,

Rajesh Kumar Vaish
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

N O T I F I C A T I O N

5th March, 2018

No. 62 A: Sanction is accorded in favour of Sri Janardan Singh, District & Additional Sessions Judge-cum-Spl. Judge, CBI , Dhanbad for encashment of (30+30+30=) 90 days unutilized Earned Leave equivalent to 90 days leave salary admissible for the block years 1 June, 2010 to 31 May, 2012, 1 June, 2012 to 31 May, 2014 and 1 June, 2014 to 31 May, 2016 under Rule(s) 227, 228, & 240 (c) of Jharkhand Service Code and Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court,

Rajesh Kumar Vaish
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

N O T I F I C A T I O N

7th March, 2018

No. 64 A: Earned Leave for 07 days for the period from 17 November, 2017 to 23 November, 2017 is granted to Sri Abhishek Prasad, Judicial Magistrate-cum-Judge-in- charge , Deoghar under Rule(s) 227,228, 230 & 248 of the Jharkhand Service Code.

By order of the Court,

Rajesh Kumar Vaish
Registrar (Administration).

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

27 फरवरी, 2018

संख्या- 09/आरोप-हजारीबाग-04/2015-905 (09)-- श्री सुबेदार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, चान्हो सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कतिपय आरोपों के संदर्भ में विभागीय आदेश संख्या-5577, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, चान्हो को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

राँची समाहरणालय, राँची के पत्रांक-227(i), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, राँची से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत विभाग के निर्णयानुसार श्री सुबेदार राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, चान्हो सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है ।

ह०/-

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी, 2018

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017-926 (02)/रा.,-- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-**100/**रा., दिनांक **21 फरवरी**, **2018** के आलोक में श्री रविरंजन कुमार बिक्रम, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उनके कार्यों के अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabiitation and Resettlement Act- 2013** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

5 मार्च, 2018

संख्या-09/आरोप-राँची-91/2017-929 (09),-- श्री प्रमोद कुमार चौधरी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नामकुम सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा मौजा-टुम्बागुटु से संबंधित रैयतों का प्रतिरक्षा विभाग के लिए अर्जित भूमि के क्रेता एवं विक्रेता के बिना दखल-कब्जा वाली भूमि के नामांतरण हेतु गलत रूप से उनका दखल कब्जा बताकर नामांतरण करने की अनुशंसा करने संबंधी आरोप में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-95 (i), दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ है ।

2. आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों एवं उसपर श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 16 के तहत श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री चौधरी को आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव/बयान प्रस्तुत करें ।

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-11393, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चंद्र झा, से.नि. भा.प्र.से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. अंचल अधिकारी, नामकुम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

5 मार्च, 2018

संख्या-09/आरोप-राँची-103/2017-930(09),-- नामकोम अंचल के मौजा-तेतरी के खाता नं०-38, प्लॉट नं०-1265, रकबा-1.61 एकड़ तथा प्लॉट नं०-1292, रकबा-0.43 एकड़ जमीन जो चमार गंझू, करम गंझू, देखू, पिता-थिरि गंझू व महादेव, पिता-मलत गंझू वगैरह, जाति कौम-बिंझिया के नाम दर्ज है, का दखिल-खारिज वाद संख्या-594/2011-12, दिनांक 27 मई, 2011 द्वारा श्री राम प्रताप वर्मा के नाम से स्वीकृत किया गया जबकि The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950 (2002 amendment) के अनुसार झारखण्ड राज्य में बिंझिया अनुसूचित जनजाति है । इस प्रकार श्री प्रमोद कुमार चौधरी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नामकोम सम्प्रति स.ब.पदा., राँची द्वारा इस तथ्य से अवगत होते हुए भी कि उक्त भूमि आदिवासी खाते की है, अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वार्थभावना से नियम विरूद्ध दाखिल-खारिज की अनुशंसा करने के आरोप में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-138 (i), दिनांक 19 जुलाई, 2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ है ।

2. आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों एवं उसपर श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 16 के तहत श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री चौधरी को आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव/बयान प्रस्तुत करें ।

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-11393, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चंद्र झा, से.नि. भा.प्र.से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. अंचल अधिकारी, नामकुम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

5 मार्च, 2018

संख्या-09/ आरोप-राँची-72/2017-962-- श्री जलील अहमद अंसारी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, अनगड़ा सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, धनबाद द्वारा नियम विरूद्ध तथ्यों को छुपाते हुए राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन का राजस्व पंजियों में समुचित जाँच किये बिना ही दाखिल-खारिज की अनुशंसा करने के आरोपों में विभागीय अधिसूचना संख्या-5111/रा., दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अंसारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक-361, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया ।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिगम में उल्लेख किया गया है कि ''चूँकि आरोपी के द्वारा मामला संज्ञान में आते ही प्रश्नगत नामांतरण को रद्द करने की कार्रवाई की गयी, इससे उनके द्वारा श्री भोलानाथ सिंह एवं श्री रामप्रवेश सिंह के नाम संयुक्त रूप से जमाबंदी दर्ज रहने संबंधी तथ्यों से अवगत होने के बावजूद जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुए गलत ढंग से प्रतिवेदन समर्पित करने का अरोप सही प्रतीत नहीं होता है, किंतु राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की सत्यता की जाँच राजस्व पंजियों में किये बगैर गलत प्रतिवेदन समर्पित करने का आरोप सही प्रतीत होता है''

इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अंसारी के विरूद्ध सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1)(i) – "Maintain absolute integrity" का आरोप सही नहीं पाया पाया है, किंतु इनका आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1)(ii)- "Maintain devotion to duty" के प्रतिकूल पाया है ।

4. प्रपत्र 'क' में गठित आरोप श्री अंसारी का स्पष्टीकरण एवं संचालन पदधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के सम्यक समीक्षोपरांत श्री जलील अहमद अंसारी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, अनगड़ा सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, धनबाद को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 जनवरी, 2018

संख्या-3/नि० सं०-09-21/2016 का.-799-- श्री बालेश्वर बड़ाईक, सेवानिवृत झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-55/03), तत्कालीन उप सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड, राँची का दिनांक 2 जून, 2017 से 15 जून, 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

15 जनवरी, 2018 ई०।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014(खण्ड-1)-260-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **पलामू/चतरा** जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 2(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **पलामू/चतरा** जिला के उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12 (02) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्योयाजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश चौधरी,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

8 जनवरी, 2018 ई०।

संख्या-11/स्था० राज०-49/2017-151-- कारा अधिनियम 1894 (एक्त 09 आफ 1894) की धारा-03 (1) एवं बंदी अधिनियम, 1900 (एक्ट 03 आफ 1900) की धारा-02 (B) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड सरकार, देवघर जिलान्तर्गत मधुपुर अनुमंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपकारा हेतु नवनिर्मित भवन को बंदियों के संसीमन हेतु दिनांक 16 जनवरी, 2018 के प्रभाव से कारागार (PRISION) घोषित करती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 5 -- 50 ।